

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940

No. 786] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

सा.का.िन. 1083(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यघ) के साथ पठित धारा 189 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 में नियम 20 के उप-नियम (1) में "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "छह हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं.30/63/2018-इंसोलवेंसी]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. संख्या 831(अ) तारीख 29 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किए गए थे तथा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. संख्या 153(अ) तारीख 09 फरवरी, 2018 को किए गए।

6541 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2018

G.S.R.1083 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 239, read with sub-section (5) of Section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016 namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and Members) Second Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and members) Rules, 2016, in sub-rule (1) of rule 20, for the words "one thousand", the words "six thousand" shall be substituted.

[F. No. 30/63/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 831(E), dated the 29th August, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 9th February, 2018.